प्रेस विज्ञप्ति
17/06/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय द्वारा पंजीकृत शेख शाहजहाँ एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए प्रकरण में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, कलकत्ता ने ईडी द्वारा दिनांक 27/05/2024 को दायर अभियोजन शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 15/06/2026 को शेख शाहजहाँ, शेख आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा तथा दिदार बोक्श के विरुद्ध आपराधिक आरोप निर्धारित किए हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक 03/06/2024 को संज्ञान लिया गया था।

ईडी ने शेख शाहजहाँ तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज अनेक प्राथमिकी के आधार पर जाँच प्रारम्भ की थी।

ईडी की जाँच में यह उजागर हुआ कि शेख शाहजहाँ ने राजनीतिक संरक्षण तथा अपने गुर्गों की एक फौज के बल पर संदेशखाली में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा था। छोटे-मोटे अपराधों से शुरुआत करने के बाद उसने बल प्रयोग एवं धमकी-धौंस के माध्यम से क्रमशः अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी अवैध संपत्ति अर्जित करने की गतिविधियों में भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध मत्स्य पालन/व्यापार, ईंट-भट्टों पर अवैध कब्जा, अपने भाई एस.के. आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ठेके प्राप्त करना तथा अवैध वसूली करना शामिल था। शेख शाहजहाँ द्वारा अर्जित अवैध धनराशि को मत्स्य व्यवसाय से प्राप्त आय के रूप में दर्शाकर तथा अपने अनेक विश्वस्त सहयोगियों के माध्यम से धन को अपने पास पहुँचाकर धन शोधन किया गया। जाँच के दौरान भूमि हड़पने, जबरन वसूली तथा हत्या की धमकी के पीड़ितों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी की कार्यवाही की गई है तथा अनेक आलीशान (लग्जरी) वाहनों

को जब्त किया गया है। इससे पूर्व इस मामले में ईडी द्वारा 27 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, ईडी ने इस मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम शेख शाहजहाँ, शेख आलमगीर (शेख शाहजहाँ का भाई), शिव प्रसाद हाजरा (यौन उत्पीड़न का आरोपी तथा एस.के. शाहजहाँ का सहयोगी) तथा दिदार बोक्श मोल्ला (शेख शाहजहाँ का गुर्गा, जो शाहजहाँ मार्केट में अवैध वसूली करता था) हैं। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को माननीय विशेष न्यायालय, कलकत्ता द्वारा जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया गया है तथा वर्तमान में वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं।